न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 08/2013

श्री रणजीत पुत्र स्व0 श्री बहादुर जाति मेहरात निवासी तेजा चौक मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

------वादी

ब ना म

1– राजस्थान राज्य जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार महोदय मसूदा

2– राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर जिलाधीश परिसर कार्यालय अजमेर राज0

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 12.10.2017

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक मसूदा तहसील मसूदा में आराजी खसरा नंबर 3463/1 रकबा 00–07–00, 3472/2 रकबा 00–11–18, 3476/2 रकबा 46–09–10, 3477/2 रकबा 21–00–00 एंव 3471 रकबा 08–16–00 भूमियां स्थित है। उक्त भूमियों पर वादी का कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक एंव बाधा के अपने पिता की जीवनकाल से ही लगभग 30 सालो से अधिक समय से नियमति रूप से शांतिपूर्वक आज दिवस तक चला आ रहा है। उक्त विवादित भूमियो पर वादी के पिता बहादुरसिंह का कब्जा काश्त चला रहा तथा वह अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है, तथा वादी व उसके पिता को धारा 91 की कार्यवाही की गई जिसके तहत वादी एंव उसके पिता ने समय समय पर जुर्माना भी राज्य सरकार को अदा किया। उक्त विवादित भूमियो पर वादी अथवा उसके पिता का कब्जा होने की पुष्टि गिरदावरीयो से भी होती है। वादी तथा उसके पिता का कब्जा होने के कारण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण को विवादित भूमियो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादी को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे तथा उसके कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि विवादित भूमिया सिवायचक खाते में दर्ज चली आ रही है, सरकारी भूमि पर बिना प्राधिकार के कब्जा अतिक्रमण की परिभाषा में आता है, जो नियमानुसार बेदखली का दायी होता है, अतः दावा वादी खारीज किया जावे।

प्रकरण में वाद पत्र जवाबदावे के अनुसार अनुतोष सहित 4 तनकियात कायम की जाकर प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब की गई वादी ने कथन किया की जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी को साक्ष्य मानी जावे तथा प्रतिवादी की और से नायब तहसीलदार ने कथन किया गया कि जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, उसी को साक्ष्य प्रतिवादी मानी जावे। प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार किये जाने का कथन किया तथा प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के कथनो को दोहराते हुये वादी के वाद को खारीज किये जाने का कथन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है।

1– आया वादी विवादित आराजीयात में खातेदार होने की घोषणा कराने एंव इनमें अपना नाम बहैसियत खातेदार लगवाने का अधिकारी है? ---वादी

.....लगातार

2— आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है?
———वादी

3— आया विवादित आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है, जिसके कारण वाद वादी चलने योग्य नही है? ——प्रतिवादी

4— अनुतोष?

उपरोक्त **तनकी नंबर 1, 2** एक दूसरे से पूरक होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है, वादी ने अपने वाद में विवादित भूमियो पर पिछले 30 सालो से भी अधिक समय से कब्जा होने तथा अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करने का कथन करते हुये खातेदारी की घोषणा चाही है, जिसके विषय में वादी ने अपने कब्जे संबंधित दस्तावेज खसरा परिवर्तन निर्धारित संवत 2061 सन् 2004—2005 प्रस्तुत की जिसमें विवादित खसरा नंबर 3472/1 रकबा 01—10—00, 3472/2 रकबा 06—00—00, 3476 रकबा 05—18—00, 3463 रकबा 15—00—00, 3470 रकबा 02—10—00 भूमियो में वादी के पिता बहादुरसिंह पुत्र भूरासिंह मेरात का नाम दर्ज होकर ज्वार, घास कब्जा होना अंकित पाया गया। इसी प्रकार खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2067 वर्ष 2010—2011 में विवादित भूमियां खसरा नंबर 3471 रकबा 07—00—00, 3472/2 रकबा 02—00—00 एंव 3477/2 रकबा 03—00—00, 3476/2 रकबा 03—00—00 भूमियो पर वादी द्धारा ज्वार, तिल, कुलत की फसल बोना व कब्जा होना पाया गया। शेष खसरान् एवं रकबे पर कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, अतः उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर वादी का उक्त भूमियों पर लगातार कब्जा काश्त होना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के हक में तय की जाती है।

तनकी नंबर 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में कथन किया है, कि वादी का विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमण काबिज होना अंकित किया है, तथा तनकी नंबर 1 व 2 वादी के हक में आंशिक रूप से निर्णित की जा चुकी है, इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नंबर 4 अनुतोष उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नंबर 1, 2 व 3 वादी के हक में आंशिक रूप से तय की जा चुकी है इसलिये वादी का वाद आंशिक रूप स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार क्षैत्र द्वितीय मसूदा तहसील मसूदा खसरा नंबर 3471 रकबा 07—00—00, 3472/2 रकबा 02—00—00 एंव 3477/2 रकबा 03—00—00, 3476/2 रकबा 03—00—00 भूमियो में वादी द्वारा कब्जा काश्त किये जाने से आवंटन एवं नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष प्रकरण रखे जाने की सिफारिश की जाती है। आवंटन एवं नियमन सलाहकार कमेटी नियमानुसार वादी को कब्जा काश्त की भूमि आवंटन एवं नियमन अधिनियम के अधीन आवंटन एवं नियमन सलाहकार कोरम (कमेटी) में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: